निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या :116/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

रामनारायण पुत्र श्री केसरी जाति जाट निवासी ग्राम जैतपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर ग्रामीण।

प्रार्थी

बनाम

1.श्री विजयपाल विश्नोई पीठासीन अधिकारी तहसीलदार चौमू, जिला जयपुर ग्रामीण।

2.बाबूलाल दत्तक पुत्र श्री मूलचन्द उर्फ मुरली

3.श्रीमती भूरी देवी पत्नी स्व. श्री सूणीलाल

4.मकेश पुत्र स्व. श्री सूणीलाल

5.सुमन देवी पुत्री स्व. श्री सूणी लाल

6.राजेन्द्र दत्त्क पुत्र मांगू

समस्त जाति जाट निवासी जयरामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर ग्रामीण।

7.श्रीमती रूकमा देवी पत्नी स्व. श्री प्रभात

जाति जाट निवासी जयरामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर ग्रामीण।

8.श्रीमती गीता देवी पुत्री स्व. श्री प्रभात

जाति जाट, निवासी ग्राम अटल बिहारीपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर ग्रामीण।

9.श्रीमती नाथी देवी पत्नी स्व. श्री गोपाल

10.बाबूलाल पुत्र स्व. श्री गोपाल

11.सुशीला देवी पुत्री स्व. श्री गोपाल

12.मदन पुत्र स्व. श्री गोपाल

13.मनभरी देवी पुत्री स्व. श्री गोपाल

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम जैतपुरा, तहसील चौमू जिला जयपुर ग्रामीण।

14.धोलू राम पुत्र स्व. धीसी देवी

15.बाबूलाल पुत्र स्व. धीसी देवी

16.सुरज्ञान पुत्र पुत्र स्व. धीसी देवी

17.सरजी देवी पुत्री स्व. धीसी देवी

18.गोमा देवी पत्नी स्व. श्री नारायण पुत्रवधु स्व. धीसी देवी

19.राकेश पुत्र स्व. श्री नारायण पौत्र स्व. धीसी देवी

20.सुप्यार पुत्री स्व. श्री नारायण पौत्री स्व. धीसी देवी

21.प्रियंका पुत्री स्व. श्री नारायण पौत्री स्व. धीसी देवी

22.सुमन देवी पुत्री स्व. श्री नारायण पौत्री स्व. धीसी देवी

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम हातोडा तहसील चौमू जिला जयपुर ग्रामीण ।

अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत तहसीलदार चौमू के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 29/2023 ब उनवानी सरकार बनाम बाबूलाल व अन्य धारा 135 (2) एल आर एक्ट को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित है।
2. श्री सुरेश कुमार चाहर अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ओर से ।

निर्णय दिनांक 11.07.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार चौमू के समक्ष प्रकरण संख्या 29/2023 ब उनवानी सरकार बनाम बाबूलाल व अन्य धारा 135 (2) एल आर एक्ट विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार चौमू से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार चाहर ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर ग्रामीण द्वारा दिनांक 19.07.2023 को प्रकरण संख्या 6/2022 में ग्राम जयपुरा तहसील चौमू गत तहसील आमेर के नामान्तरकरण संख्या 260 दिनांक 11.05.1977 को निरस्त करते हुए समस्त पश्चातवर्ती अंकन राजस्व रिकार्ड के शून्य व बेअसर घोषित कर दिये गये थे और तहसीलदार न्यायालय को 30 दिवस में प्रकरण का निर्णय करने के आदेश फरमाये थे जिसकी पालना आज दिवस तक भी नहीं हुई। प्रकरण में रामनारायण जो केसरी देवी का पुत्र है उसके पावर आज दिवस तक भी रिकार्ड पर नहीं लिया गया है और उसका नकल आवेदन भी लम्बित है। जिससे स्पष्ट है कि प्रकरण में शीघ्र न्याय निर्णय हेतु न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तों की पालना हेतु व प्रार्थी रामनारायण को न्याय प्रदत्त करने हेतु प्रकरण को अन्य सक्षम तहसीलदार के न्यायालय ने आदेश देने हेतु स्थानान्तरण किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने प्रार्थी के तर्कों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी ने जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण में देरी किये जाने की मन्शा से झूंठे तथ्य अंकित करते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है, परन्तु चूंकि प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर की है। इसलिए न्यायहित में इस प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जाता है, तो कोई आपत्ति नहीं है।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने तहसीलदार चौमू के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं किये जाने से से उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। तहसीलदार चौमू से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई किन्तु प्राप्त नहीं हुई। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता भी उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर सहमत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाता है।

8. तहसीलदार चौमू के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 29/2023 ब उनवानी सरकार बनाम बाबूलाल व अन्य धारा 135 (2) एल आर एक्ट को न्यायालय तहसीलदार चाकसू में अन्तरण किया जाता है। पक्षकारान प्रकरण में अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 30.07.2024 को न्यायालय तहसीलदार चाकसू में उपस्थित हो।

9. तहसीलदार चाकसू को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

10. निर्णय की प्रति न्यायालय तहसीलदार चौमू एवं तहसीलदार चाकसू को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक 11.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)